दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11– क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021 में स्वस्थाने स्लम पुनर्वास मानकों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। **स्लम एवं जेजे क्लस्टरों हेतु प्रस्तावित नीति** आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतदद्वारा पब्लिक डोमेन में रखी जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **पैंतालीस (45) दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में **अथवा** ई–मेल द्वारा **mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नम्बर/सम्पर्क नम्बर/ई–मेल आई.डी. भी लिखें, जो पठनीय हो।

प्रारूप नीति का पाठ संदर्भ हेतु उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्यदिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात **https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023** पर भी उपलब्ध है।

फाइल सं: पीएलजी/एमपी/0005/2020/एफ–3
दिनांक: 23.03.2023
स्थान: नई दिल्ली

हस्ता.
(डी सरकार)
आयुक्त एवं सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया Google play के **DDA** ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टॉल फ्री नंबर 1800110332 डायल करें